



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46757

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3167/2026

गणेशदत्त और 9 अन्य

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कन्हैया लाल तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री केएल तिवारी की ओर से श्री एके उपाध्याय (एओआर संख्या ए/ए 1423/2012) और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं (जिनकी संख्या 10 है) का मामला यह है कि वे वर्ष 1976, 1977, 1978, 1982 और 1986 में विभिन्न तिथियों पर मौसमी संग्रह अमीन के रूप में कार्यरत थे और उनकी सेवाएं क्रमशः वर्ष 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 और 1997 में नियमित की गईं तथा वे क्रमशः वर्ष 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 और 2020 में सेवानिवृत्त हुए। उनकी शिकायत यह है कि मौसमी संग्रह अमीन के रूप में उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना में शामिल नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2/ कलेक्टर/ जिला अधिकारी, बस्ती, जिला-बस्ती द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. कटघरे में किये गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 27.03.2026 तक प्रस्तुत करे।
इस अभ्यावेदन पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन
माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं
किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।